न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी–मनोज , आर0ए0एस0
प्रकरण संख्या – प्रार्थना पत्र 161 / 2024

अनवान प्रकरण

1–रामलाल पिता माधुलाल भील निवासी नान्दशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
---प्रार्थी

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाड़ा
(प्रार्थना पत्र बाबत– रास्ता कायमी हेतु अन्तर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधिनियम)

---0---

उपस्थितः– वकील प्रार्थीगण – श्री अम्बालाल जाट
वकील अप्रार्थी . – पेरोकार तहसीलदार माण्डल

---0---

आदेश

दिनांक 06.09.2024

प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1–यह कि प्रार्थी की खातेदारी एवं स्वामित्व की ग्राम कापड़िया पटवार हल्का बावलास भू अभिलेख निरीक्षक सर्कल लेसवा तहसील माण्डल में आराजी नम्बर 1238 / 1010 रकबा 1.2014 हैक्टर, स्थित है। जिसमें बुआई हेतु ट्रेक्टर, संज बैल व पैदल आने जाने हेतु एवं फसल काश्त करने एवं अवेरने हेतु रास्ता की आराजी नम्बर 434 रकबा 12.4441 हैक्टर में से होता हुआ प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी संख्या 1238 / 1010 में आया जा सकता है। आराजी नम्बर 434 वर्तमान में रिकॉर्ड में बिलानाम सरकार दर्ज है जिसमें रास्ता कई वर्षों से विद्यमान है जिसका आवेदक कई वर्षों से निरन्तर बिना किसी रूकावट के उपयोग करता हुआ चला आ रहा है। यही एकमात्र रास्ता है इसके सिवाय अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आराजी नम्बर 434 हंकत नहीं है पड़त होने से रास्ता खुलासा है। प्रार्थी द्वारा ग्राम कापड़िया की बिलानाम आराजी नम्बर 434 में से प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में ए से बी दर्शित है के अनुसार 30 फीट चौड़ाई के रास्ते के रूप में कायम करने की स्वीकृति हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत है।

2–यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रास्ते को रास्ते के रूप में अलग से खाते में कायम करने व नक्शे में तरमीम की स्वीकृति प्रदान करने हेतु यह प्रार्थनापत्र 251–ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें । इस हेतु प्रार्थी सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए तैयार एवं तत्पर है।

3–यह कि प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 25.06.2024 को दर्ज रजिस्टर करते हुए अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस दिनांक 04.07.2024 के जारी किए गए। प्रार्थनापत्र में रास्ते हेतु प्रस्तावित आराजी नम्बर 434 नकल जमाबन्दी सम्वत् 20765

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

से 2078 के खाता संख्या 01 में दर्ज होकर कुल रकबा 12.4441 हैक्टर किस्म बंजड़ दर्ज है। प्रार्थी के द्वारा उक्त भूमि में से रास्ता चाहा गया है ऐसी स्थिति में भूमि बिलानाम सरकार होने से पेरोकार तहसीलदार माण्डल जो कि भूमिधारी होने से प्रार्थनापत्र में आदेश हेतु मौके की रिपोर्ट लिया जाना उचित होने से तहसीलदार माण्डल से आराजी संख्या 434 की मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

3–यह कि रास्ते बावत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार माण्डल के पत्रांक/राजस्व/2024/1416 दिनांक 11.07.2024 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार माण्डल से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम कापड़िया की आराजी नम्बर 1238/1010 रकबा 1.2014 हैक्टर भूमि प्रार्थी रामलाल पिता माधु भील निवासी नान्दशा के नाम पर खातेदारी से दर्ज है। प्रार्थी की खातेदारी की आ0नं0 1238/1010 पर आने जाने के लिए वर्तमान में कोई रास्ता दर्ज नहीं है परन्तु मौके पर रास्ता बना होकर चालू है। वर्तमान में प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच हेतु वैकल्पिक मार्ग का अभाव है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही लघुत्तम है जो कि आराजी नम्बर 434 रकबा 12.4441 हैक्टर में से होकर है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 132 फीट व चौड़ाई 30 फीट है जिसके अनुसार कुल 0.0368 हैक्टर रकबा बनता है। रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे में रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते की भूमि को ब्लू स्याही से एवं प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डीएलसी अनुसार टीआरए शाखा से गणना रिपोर्ट संलग्न की है।

4– हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी। बहस में वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं तहसीलदार माण्डल से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता कायम कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने हेतु निवेदन किया।

5–हमने वकील प्रार्थी की बहस के तथ्यों एवं प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 251–ए रा0का0अ0 व तहसीलदार माण्डल से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अध्ययन से यह जाहिर आया कि ग्राम कापड़िया की आराजी नम्बर 1238/1010 रकबा 1.2014 हैक्टर, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 121 में आराजी संख्या 426 के साथ प्रार्थी रामलाल पिता माधु भील निवासी नान्दशा/खालसा तहसील सहाड़ा के नाम पर खातेदारी से दर्ज है। पत्रावली के साथ संलग्न ऑनलाईन नक्शा अनुसार आ0नं0 1238/1010 व रास्ते की आराजी संख्या 424 के मध्य आराजी नम्बर 434 स्थित है। पत्रावली एवं तहसीलदार माण्डल से प्राप्त रिपोर्ट एवं नजरी नक्शे के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की आराजी नम्बर 1238/1010 व रास्ते की आराजी नम्बर 424 के मध्य बिलानाम आराजी नम्बर 434 स्थित है। तहसीलदार की रिपोर्ट एवं नजरी नक्शे के अनुसार प्रार्थी को अपनी आराजी पर पहुंच हेतु बिलानाम आराजी नम्बर 434 का ही उपयोग किया जा रहा है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि पर पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज नहीं है। तथा प्रस्तावित रास्ता ही सबसे लघुत्तम मार्ग है जो कि प्रार्थी की आत्यन्ति आवश्यकता होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार माण्डल की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार माण्डल ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा बिलानाम आराजी नम्बर 434 में से 30 फीट चौड़ाई एवं 132 फीट लम्बाई के रास्ते का उपयोग किया जा रहा है जिसका कुल रकबा 0.0368 हैक्टर बनता है। तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

माण्डल की रिपोर्ट के साथ संलग्न गणना रिपोर्ट के अनुसार ग्राम कापड़िया की डीएलसी 481294/–रू0 प्रति हैक्टर होने से रास्ते की भूमि 0.0368 हैक्टर की कुल राशि 17112.00 रूपये बनती है। राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–60189 विभाग के परिपत्र दिनांक 14.04.2016 में दिए गए निर्देशानुसार खातेदार को अपनी जोत पर पहुंच हेतु बिलानाम भूमि से भी रास्ता डीएलसी की दुगुनी राशि जमा कराने पर रास्ता दिया जा सकता है। चूंकि रास्ते की चौड़ाई अधिकतम 30 फीट दिया जाने का प्रावधान किया गया है चूंकि भूमि ग्रामीण अंचल में स्थित होने से वाहनों की आवाजाही अधिक नहीं होने से 20 फीट चौड़ाई का ही रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित समझते हैं जिससे रास्ते का कुल रकबा 132 फीट लम्बाई एवं 20 फीट चौड़ाई के अनुसार कुल रकबा 0.0245 हैक्टर बनता है जिसकी कीमत तहसीलदार से प्राप्त डीएलसी 481294/– के अनुसार 11792.00रू0 की दुगुनी राशि 23584.00 रू0 बनती है जिसे प्रार्थी जमा कराने को सहमत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए में रास्ता कायम किए जाने हेतु विधिक प्रावधान किए गए है। ऐसी स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार माण्डल की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होता है। प्रार्थी रास्ते के उपयोग में ली जाने वाले रकबे की राशि जमा कराने पर सहमत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए में रास्ता कायम किए जाने हेतु विधिक प्रावधान किए गए है। आदेशानुसार संशोधित नजरी नक्शा एवं गणना रिपोर्ट तहसीलदार माण्डल से प्राप्त कर पत्रावली पर रखा जावे । ऐसी स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार माण्डल की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होता है। अतएव :–

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी की खातेदारी की ग्राम कापड़िया की आराजी नम्बर 1238/1010 हैक्टर में पहुंच हेतु ग्राम कापड़िया की बिलानाम आ0नं0 434 में से संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार लाल स्याही से दर्शाये गये रास्ते को चौड़ाई में 30 फीट के स्थान पर 20 फीट की चौड़ाई के अनुसार रास्ते का रकबा 0.0245 हैक्टर की तहसीलदार माण्डल नवीन स्थिति प्राप्त करते हुए नक्शे में अंकित कराते हुए रिपोर्ट लेवें एवं उक्त नवीन प्रस्तावित रास्ते की राशि की गणना करा दुगुनी राशि प्रार्थी से राजकोष में जमा कराने के पश्चात आदेशानुसार ऑनलाईन नक्शे में लालस्याही से दर्शाये अनुसार रास्ता कायम किया जावे। प्रार्थीगण उक्त रास्ते की भूमि की राशि राजकोष में जमा करादेवे तभी यह आदेश प्रभावी होगा।

आदेश आज दिनांक 06.09.2024 को तैयार करा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा